महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–3412 /9–1–16–119सा / 14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनु0–1

लखनऊः दिनॉक 03 जनवरी, 2017

विषयः– स्थानीय निकायों / जल संस्थानों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त / कार्यरत दैनिक वेतन / वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–44 / 2015 / वे0आ0–2–795 / दस–54(एम) 2008 टी0सी0 दिनांक 13.08.2015 एवं उक्त क्रम में जारी शासनादेश संख्या–9 / 2016 / वे0आ0–2–201 / दस–2016–8(मु0स0स0) / 2011 टी0सी0 दिनांक 24.02.2016 द्वारा प्रदेश के राजकीय विभागों स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों, स्थानीय निकायों विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन / वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है तथा कार्मिक अनुभाग–2 के अधिसूचना संख्या–9 / 2016 / 2 / 1 / 97–क / 2016 दिनांक 12.09.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 निर्गत किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–44 / 2015 / वे0आ0–2–795 / दस–54(एम) 2008 टी0सी0 दिनांक 13.08.2015 एवं शासनादेश संख्या–9 / 2016 / वे0आ0–2–201 / दस–2016–8(मु0स0स0) / 2011 टी0सी0 दिनांक 24.02.2016 स्थानीय निकायों पर भी प्रभावी है। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु कार्मिक अनुभाग–2 के अधिसूचना दिनांक 12.09.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 की व्यवस्था को स्थानीय निकायों / जलसंस्थान के कार्मिक पर अनुमन्य किये जाने हेतु इस शर्त के अधीन अंगीकृत किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

कि उपर्युक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप बढे हुए व्ययभार का वहन संबंधित निकाय द्वारा किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नही दी जायेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–14/दस–2017, दिनांक– 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या–3412 (1)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक जलकल विभाग/जलसंस्थान उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
8. नगर विकास के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शशिकान्त कनौजिया)
अनु सचिव।